



तारीख हुक्म  
4/12/11

पत्रावली पेश हुई कठुलाय उपस्थित।  
 बाद पत्र के अग्रणी को 3 ता 10 के  
 निराल एक तरमा कार्यवाही अगम मे  
 लगी जा चुके हैं। तथा पाथकिडि  
 लगी हो चुके हैं।  
 वही उक्त पत्रकारन अधिवक्ता गण की  
 सुनी गयी। दोबारे वही वकील पाथकि  
 न कथन किया कि मामला लकाका  
 का है अर्थात् विमान-पत्रक आग  
 शेष है वाद विचारण लक अग्रणी  
 को अर्थात् विषयगत से पाठक किया  
 जाय।  
 उक्त में अग्रणी 192 के अधिवक्ता  
 न कथन किया कि पाथकि न केवम  
 मात्र अग्रणी को 2 ही 2 अग्रणी  
 का कनेक्शन बरकराते हेतु स्थान  
 प्राप्त किया है जो खारील कठुलाय।  
 हमने वही उक्त पत्रकारन अधिवक्ता  
 गण की सुनी। पत्रावली के पत्रावली  
 पर उपलब्ध वाजसु रिकार्ड का अग्रणी  
 किया। मामला लकाका का है अर्थात् लक  
 विमान-पत्रक आग शेष है अतः अग्रणी  
 गण 3 ता 5 व 8 ता 10 को जारी है।



for

15-1  
18-

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मरा लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

अरखाई निषेधाज्ञा से ताजोराने वाद  
पावन्द किया जाता है कि भूमि खण्ड  
154, 174, 35, 39 जितना 4 कुल रम्का  
4.68 हे० ग्राम छहर कांक्ट फ० ए० कांक्ट

तहसील खण्डेला जिला बीकर राज०  
में जबरन खण्डे न खोदे। फसल उाकी  
गल्ल नहीं करे। तथा प्रतिवादी/अपवादी  
स० 6 व 7 विद्युत विभागिय नोर्मस  
अनुसार कार्यवाही करने हेतु बसतज है।  
पचावली फशाल शुभ्राए होकर नम्बर  
से कम हो वाद तहसील दाखिल  
कर है।



(राजनी सिध)  
RMS  
उपजज अधिकारी  
खण्डेला (बीकर)